न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 132/2017 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती गंगा पुत्री स्व. उंकार जी डांगी, पत्नी लालू जी डांगी, निवासी सुखेर, तहसील गिर्वा, हाल बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, हाल बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा प्रकरण संख्या 560/2013 दिनांक 13.07.2017

–––/–––

उपस्थित(वक्तबहस)
1. श्री संजय सोनी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 1

–––:::–––

निर्णय **दिनांक 08–02–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 63(4), 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुखेर में गत बन्दोबस्त की आराजी नंबर 841/138 में से 3 बिस्वा भूमि वादिया के पिता स्वर्गीय उंकार पिता लाला डांगी को दिनांक 16–11–1976 को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 98 के तहत निःशुल्क बाड़े हेतु स्वीकृति दी, जिससे राजस्व रेकार्ड में उनके नाम की प्रविष्टि होकर नामान्तरकरण संख्या 177 दिनांक 14–12–1976 से स्वीकृत हुआ, जिसका अमल दरामद संवत् 2032 से 2035 में किया गया। इस प्रकार वादिया के पिता को तीन बिस्वा भूमि दिये जाने से उस पर गौशाला का निर्माण किया गया तथा मवेशी बांधने व घास आदि रखने के काम में आ रही है, किन्तु संवत् 2037 में भू–प्रबन्ध के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियों ने भूलवश बिलानाम काबिल काश्त दर्ज करते हुए वर्तमान आराजी नंबर 1827/491 रकबा 0.0300 एयर किस्म बाड़ा ''मकान'' दर्ज कर दिया, जबकि उंकार के नाम की प्रविष्टि होनी चाहिए थी। उंकार के जीवनकाल में विवादित आराजी नंबर उनका कब्जा था तथा उनकी मृत्यु के बाद वादिया का कब्जा चला आ रहा है, किन्तु अभी कुछ दिन पूर्व दिनांक 28–07–2010 को मौके पर [illegible] अन्य लोग आये एवं झगड़ा फसाद कर वादिया के मकान की [illegible] दी तथा मकान तोड़ने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:30 IST
Reason: SelfAttested

धमकी दी। इस पर वादिया ने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो उसे ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी नगर विकास प्रन्यास का हस्तान्तरित कर दी गयी है, जबकि मौके पर आज भी आराजी नंबर 1827/491 पर पिछले 35 वर्षो से वादिया की गौशाला बनी होकर उसका कब्जा है। अतः साबिक आराजी नंबर 841/138 से बने हाल आराजी नंबर 1827/491 का वादिया को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 13–07–2017 से वादिया का वाद साबित नहीं होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–08–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट अथवा उनके अधिवक्ता को सूचित किये बिना प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जबकि वादिया का विवादित भूमि पन अपने पिता के समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है ऐसी स्थिति में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वह खातेदार हो चुकी है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13–07–2017 पर अपीलान्ट/वादिया के पुत्र बृजेश डांगी के हस्ताक्षर हैं, ऐसी स्थिति में उनका यह कथन कि उन्हें रा[illegible] की कोई सूचना नहीं दी गयी, उचित प्रतीत नहीं होता है। प्र[illegible] से 2068 में विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:30 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नंबर 1827/491 रकबा 0.0300 हैक्टर किस्म बाड़ा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को हस्तान्तरित होना अंकिन है, जबकि अपीलान्ट/वादिया द्वारा वाद दायर करने से पूर्व उन्हें धारा 80(2) सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने जिला कलक्टर एवं नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को वाद दायर करने से पूर्व नोटिस नहीं दिये जाने के कारण तथा राज्य सरकार व जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक 12/3(6)राज/परिपत्र/07/1444 दिनांक 26–02–2007 अनुसार समस्त बाड़ा आवंटनों को निरस्त किये जाने के आदेश होने के आधार पर वादिया का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–07–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 08–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:30 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती गंगा पुत्री स्व. उंकार डांगी पत्नी लालू डांगी, निवासी सुखेर, तहसील गिर्वा हाल बड़गांव	बनाम	**सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा हाल बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**132/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा** .....मुकाम.....मुवर्खे.....**13**.....माह.....**07**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**08**.....माह.....**02**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजय सोनी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–07–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**08**.....माह.....**02**.....**2023** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:30 IST
Reason: SelfAttested